संख्या-14/2015-6581/नौ-5-14-190बजट/2014

प्रेषक,

उमा शंकर सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा मे,

प्रबन्ध निदेशक,
उ0प्र0 जल निगम,
लखनऊ।

नगर विकास अनुभाग-5 लखनऊः दिनांक 10 फरवरी, 2015

विषयः-वित्तीय वर्ष 2014-15 में नगरीय जल निकासी योजना के अन्तर्गत नगर पालिका परिषद्, रामपुर की आन्तरिक ड्रेन पुनर्गठन योजना पार्ट-3 की वित्तीय एवं प्रशासकीय स्वीकृति तथा उसके सापेक्ष प्रथम किश्त की धनराशि अवमुक्त किया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक महाप्रबन्धक (नि.-10), सीएण्डडीएस, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ के पत्र संख्या-130/परि0प्रब0(तक)मु0/2014/अप्रेजल, दिनांक 14.11.2014 तथा महाप्रबन्धक (नि.-10), सीएण्डडीएस, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ के पत्र संख्या-131/परि0प्रब0(तक)मु0/2014/अप्रेजल, दिनांक 19.11.2014 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि नगरीय जल निकासी योजना के अन्तर्गत नगर पालिका परिषद्, रामपुर की आन्तरिक ड्रेन पुनर्गठन योजना पार्ट-3 को प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग द्वारा मूल्यांकित लागत ₹ **1203.01 लाख** पर प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत करते हुए वित्तीय वर्ष 2014-15 में अनुदान संख्या-37 के राज्य सेक्टर के नगरीय जल निकासी योजना से प्रथम किश्त के रूप में ₹ **481.20 लाख (₹ चार करोड़ इक्यासी लाख बीस हजार मात्र)** अवमुक्त किये जाने पर श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः-

(1) स्वीकृत की जा रही धनराशि प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम तथा सचिव/संयुक्त सचिव, नगर विकास विभाग के प्रतिहस्ताक्षरयुक्त बिल प्रस्तुत करकें कोषागार/भारतीय स्टेट बैंक से आहरित कर व्यय की जायेगी।

(2) कार्यदायी संस्था/नगर पालिका परिषद्, रामपुर द्वारा नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियां एवं पर्यावरणीय क्लीयरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(3) प्रायोजना में प्रस्तावित बाट आउट आइटम्स् का क्रय सुसंगत वित्तीय नियमों के अधीन किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(4) प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग द्वारा प्रस्ताव का परीक्षण लागत आगणन में प्रस्तावित विशिष्टियों एवं कार्य प्रावधानों को यथावत् मानते हुए किया गया है, जिनमें कोई उल्लेखनीय परिवर्तन जैसे-वितरण प्रणाली, राइजिंग मेन आदि की लम्बाई बढ़ाना, प्रस्तावित कार्यो की मात्राओं में वृद्धि एवं अन्य उच्च विशिष्टियां इस्तेमाल करना इत्यादि व्यय वित्त समिति का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा।

(5) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यो की द्विरावृत्ति (डुप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से प्रायोजना की स्वीकृति से पूर्व प्रशासकीय विभाग द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न ही वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

(6) प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग द्वारा लागत आंकलन प्रस्तावित मात्राओं को यथावत मानते हुए मात्र दरों का परीक्षण किया गया है। मात्राओं का निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था/सम्बन्धित निकाय का होगा।

(7) प्रश्नगत कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जायेगी तथा सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने पश्चात् ही कार्य प्रारम्भ किया जाएगा।

(8) स्वीकृत धनराशि एकमुश्त न आहरित कर आवश्यकतानुसार आहरित की जाएगी व धनराशि का कोई भी अंश किसी बैंक/पोस्ट आफिस/डिपॉजिट खाता/पी.एल.ए. में नहीं रखा जाएगा।

(9) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों/समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जाएगा।

(10) प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है, उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जायेगा। किसी भी दशा में धनराशि का व्यवर्तन अन्य किसी कार्य में नहीं किया जायेगा। सामग्री/उपकरणों का क्रय वित्तीय नियमों के अनुसार किया जायेगा।

(11) यह सुनिश्चित किया जायेगा कि स्वीकृत किये जा रहे इस कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गई है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित है।

(12) निष्प्रयोज्य होने वाले उपकरणों/सामग्री से प्राप्त धनराशि राजकोष में जमा करना सुनिश्चित किया जाएगा।

(13) प्रायोजना का निर्माण कार्य ससमय में पूर्ण किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(14) नगर विकास विभाग के अन्तर्गत ड्रेनेज से संबंधित कराए जाने वाले कार्यो के संबंध में निर्गत शासनादेश संख्या-3788/नौ-5-2012-111बजट/2010, दिनांक 09.10.2012 की व्यवस्था का अनुपालन किया जायेगा।

(15) कार्य की विशिष्टियों, मानक व गुणवत्ता की जिम्मेदारी संबंधित नागर निकाय/कार्यदायी संस्था/जिलाधिकारी की होगी तथा कार्य निर्धारित समय-सीमा में ही पूर्ण की जायेगी।

(16) कार्यस्थल पर राज्य स्तरीय टास्क फोर्स द्वारा नियत 'डिस्पले बोर्ड' पर कार्य का पूर्ण विवरण, कार्यदायी संस्था, कार्य प्रारम्भ होने, कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि आदि का उल्लेख किया जायेगा।

(17) स्वीकृत धनराशि का उपयोग करते हुए उपयोगिता प्रमाण-पत्र यथा समय शासन तथा महालेखाकार उ0प्र0 इलाहाबाद को भेजा जाना वांछनीय है।

2- इस शासनादेश में वित्त विभाग द्वारा निर्धारित विशिष्ट शर्तो का अनुपालन विभागों/उपक्रमों में तैनात वित्त नियंत्रक/मुख्य/वरिष्ठ/लेखाधिकारी अथवा सहायक लेखाधिकारी, जैसी भी स्थिति हो, सुनिश्चित करेंगें। यदि निर्धारित शर्तो का किसी प्रकार का विचलन हो, तो सम्बन्धित वित्त नियंत्रक इत्यादि का दायित्व होगा कि उनके द्वारा मामले की सूचना पूर्ण विवरण सहित तत्काल प्रशासकीय तथा वित्त विभाग को दी जायेगी।

3- उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-37 के अन्तर्गत आयोजनागत लेखाशीर्षक ***"2215-जलपूर्ति तथा सफाई-02-मलजल तथा सफाई-192-नगर पालिकाओं/नगर पालिका परिषदों को सहायता-04-उ0प्र0 व्यापार विकास निधि से व्यय-0402-नगरीय जल निकासी कार्य-35-पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान"*** के नामें डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पंजी संख्या-ई-8-379/दस-15, दिनांक 10 फरवरी, 2015 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(उमा शंकर सिंह)
संयुक्त सचिव।

संख्याः-14/2015-6581(1)/नौ-5-14-190बजट/2014 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार (वर्क्स लेखा अनुभाग), उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- मण्डलायुक्त, मुरादाबाद मण्डल, मुरादाबाद।
3- जिलाधिकारी, रामपुर।
4- कोषाधिकारी, कलेक्ट्रेट कोषागार, लखनऊ।
5- निदेशक, स्थानीय निकाय निदेशालय, इन्दिरा भवन लखनऊ।
6- निदेशक, सी.एण्ड.डी.एस. उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ।
7- निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
8- अध्यक्ष/अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, रामपुर।
9- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8/वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
10- नियोजन अनुभाग-3/4
11- निजी सचिव, मा0 मंत्री जी, नगर विकास विभाग, उ0प्र0।
12- गार्ड फाइल/कम्प्यूटर सेल को वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु।

आज्ञा से,

(उमा शंकर सिंह)
संयुक्त सचिव।

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2014-2015

आवंटन दिनांक-10/02/2015

प्रेषण संख्या:- 14-2015

आवंटन आदेश संख्या:- 001-14-2015-6581-9-5-1-190Bud-2014

अनुदान संख्या:- 37 नगर विकास विभाग(वित्तीय वर्ष 2014-2015 का आवंटन)

लेखाशीर्षक:- 2215 - जल पूर्ति तथा सफाई(आयोजनागत-मतदेय)

02 - मल-जल तथा सफाई

192 - नगर पालिकाओं / नगर पालिका परिषद्ों को सहायता

04 - उत्तर प्रदेश व्यापार विकास निधि से व्यय

02 - नगरीय जल निकासी कार्य

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		35-पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान	योग
1	लखनऊ कलेक्ट्रेट -6015-- , --01--	वर्तमान	48120000	48120000
		प्रगामी	260240000	260240000
	योग	वर्तमान	48120000	48120000
		प्रगामी	260240000	260240000

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया चार करोड़ इक्यासी लाख बीस हजार

महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया छब्बीस करोड़ दो लाख चालीस हजार

(उमा शंकर सिंह)

संयुक्त सचिव